कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर (म.प्र.)

सीहोर दिनांकः 13/9/2019

—:आदेशः—

क्रमांक/ 119 /भू–अर्जन/2019 :– "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" के तहत मध्यप्रदेश रोड डेव्हलमपेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की परियोजना "भोपाल–इन्दौर 6 लेन, एक्सेस कन्ट्रोल एक्सप्रेस वे एवं पश्चिम दक्षिण भोपाल बायपास ग्रीनफील्ड" निर्माण के लिये जिला सीहोर के अनुविभाग इच्छावर स्थित भूमि के अर्जन की कार्यवाही हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी इच्छावर के प्रस्ताव के आधार पर अधिनियम की धारा '4' के प्रावधानों के अनुसार संलग्न प्रारूप 'क' मे वर्णित उपखण्ड स्तरीय समिति का गठन किया जाता है। गठित समिति शीघ्रतिशीघ्र सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण करने की कार्यवाही करेगी।

कलेक्टर

सीहोर (म.प्र.)

पृ. क्र. / 120 /भू–अर्जन/2019 सीहोर दिनांक : 13/9 /2019

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक (बीओटी), मध्यप्रदेश सडक विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी इच्छावर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला जनसंपर्क अधिकारी सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सर्व संबंधित Shri Sanjay Joshi की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। N.I.C Sehore for Collector website.

कलेक्टर

सीहोर (म.प्र.)

1

कार्यालय कलेक्टर, जिला–सीहोर (म0प्र0)

पत्र क्रमांक 1030 श्री/भूअर्जन/2019 इछावर,दिनांक 13/09/2019

प्ररूप–क

(नियम 4 देखिए)

राज्य सरकार, प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम/वार्ड स्तर पर, यथास्थिति, संबंधित पंचायत/नगर पालिका/नगर पालिक निगम के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती हैं। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

(1)		परियोजना का विकासक का नाम	मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, 45–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)–462011
(2)		भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	भोपाल–इंदौर 6–लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस–वे निर्माण कार्य।
(3)		अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	
	(क)	गैर सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक	1. श्री नारायणसिंह परमार, ज.पं. इछावर 2 श्री बाबूलाल वर्मा जनप्रतिनिधी
	(ख)	यथास्थिति पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका के प्रतिनिधि	1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी इछावर 2. श्री गजराजसिंह सरपंच लाऊखेड़ी
	(ग)	पुनर्व्यवस्थापन के दो विशेषज्ञ –	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इछावर 2. तहसीलदार तहसील इछावर
	(घ)	तकनीकी विशेषज्ञ (कंसलटेंट) –	श्री मुन्ना कुमार (फीटबेक सन्सल्टेंसी)
	(ड)	अध्यक्ष –	श्रीमती प्रगति वर्मा अनुविभागीय अधिकारी इछावर
(4)		भूमि के विवरण	
		(क) जिला	सीहोर
		(ख) तहसील	इछावर
		(ग) ग्राम	ढाबलामाता, मोगरा, गांवतालाब, कस्बा इछावर, सतपीपलिया, बालापुरा, झालकी, कल्याणपुरा धाकड़, गोराखेड़ी, अरोलिया, रतनपुर, खजूरिया घेंघी
		(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र	रकबा 780.754 हेक्टेयर
		(ड) अर्जित होने वाला क्षेत्र	रकबा 182.543 हेक्टेयर
(5)		प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	भोपाल–इंदौर 6–लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस–वे निर्माण कार्य।

(6)		परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	जिला—सीहोर, तहसील—इछावर के क्रमांक 4 (ग) में दर्शाये गये ग्राम।
(7)		क्या ग्राम सभाओ और /या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	आवश्यकता नहीं।
(8).		सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	दिनांक 12—09—2019

कलेक्टर
जिला—सीहोर